प्रेस विज्ञप्ति

- बिहार ने पिछले लगभग दो दशकों में उच्च आर्थिक विकास दर को बनाए रखा है तथा विभिन्न सामाजिक–आर्थिक विकास संकेतकों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज किया है। हालांकि विभिन्न संकेतकों में राष्ट्रीय औसत को प्राप्त करने के लिए और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
- बिहार के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य की राजकोषीय क्षमता को बढ़ाने हेतु सोलहवें वित्त आयोग से अपेक्षा है कि वह विशेष वित्तीय प्रावधान करे।
- राज्यों को केंद्र सरकार से वित्तीय संसाधन के हस्तांतरण के लिए अधिक से अधिक फार्मूला–आधारित दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सीमित राजकोषीय संसाधनों वाले राज्यों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए राज्यों को अनुदान–संबंधी व्यय के लिए अपने हिस्से से वित्तीय योगदान करने की आवश्यकता को नहीं रखा जाए।
- केंद्र सरकार द्वारा 'सेस' और 'सरचार्ज' के माध्यम से राजस्व संग्रह में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चूंकि, यह राजस्व राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है, इसलिए 'सेस' और 'सरचार्ज' से बढ़ते राजस्व संग्रह को अक्सर राज्य सरकारों के राजस्व की हानि के रूप में देखा जाता है। इसलिए, वर्तमान **वित्त आयोग से अपेक्षा है कि 'सेस' और 'सरचार्ज' को विभाज्य पूल में शामिल करने की अनुशंसा करे।**
- राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए **केंद्रीय करों की शुद्ध आय का कम से कम 50 प्रतिशत राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाना चाहिए।**
- वित्त आयोग राज्यों के बीच केंद्र सरकार से मिलने वाले राजस्व को वितरित करने के तरीके का निर्धारण करते समय दो मुख्य मानदंडों – **जनसंख्या और क्षेत्र** – का उपयोग करता है। हालाँकि, **उच्च जनसंख्या घनत्व** वाले राज्यों को अक्सर क्षेत्र को एक मानदंड के रूप में शामिल करने के कारण काफी राजस्व हानि का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत, घनी आबादी वाले और कम विकसित क्षेत्रों को अपने विकास के लिए अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस सन्दर्भ में **संसाधन हस्तांतरण के फॉर्मूले में जनसंख्या घनत्व को प्राथमिकता दी जानी चाहिए**। यह समायोजन सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे दोनों पर जनसंख्या के प्रभाव को कम करने मे मदद करेगा।

- वित्त आयोग को राजस्व वितरण फार्मूले में **'Income distance'** को अधिक महत्त्व देना चाहिए। देश में क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक असमानता को कम करने के लिए यह आवश्यक है।
- वित्त आयोग को राज्य सरकार के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए 'Forest Cover' को **'Incremental Green Cover' और 'Total Green Cover' से बदलने पर विचार करना चाहिए**। इस संदर्भ में 'Incremental Green Cover' और 'Total Green Cover' दोनों को राजस्व हस्तांतरण के फार्मूला में महत्व दिया जाना चाहिए।
- वित्त आयोग से केंद्र सरकार के कर राजस्व के विभाज्य पूल में प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी निर्धारित करने के लिए **'मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (एमपीआई)'** को एक प्रमुख मानदंड के रूप में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। बहुआयामी गरीबी (मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी) की अवधारणा नीति निर्माताओं को आय के अलावा अन्य कारकों का मूल्यांकन करने का अवसर देती है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार की आवश्यकता को भी दर्शाती है।
- वित्त आयोग ऐसी अनुशंसा करे जिससे राज्य सरकारों पर अतिरिक्त वित्तीय शर्तें लगाए बिना स्थानीय निकायों को उनके कामकाज को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित हो सके। सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य के लिए अक्सर सशर्त वित्तपोषण की मांगों को पूरा करना कठिन होता है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए **16वें वित्त आयोग से 24,206.68 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा है, और शहरी निकायों के विकास के लिए 35,025.77 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा है।**
- राज्य की विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए **विभिन्न क्षेत्रों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता के लिए वित्त आयोग से 1,00,079 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की गई है।** विशेष रूप से, राज्य में क्लाइमेट रेसिलिएंट कृषि प्रथाओं की तैयारियों के लिए 703.03 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा गया है। इसके अलावा, बिहार को 'देश का जैविक कटोरा' बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के लिए 430.37 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान मांगा गया है।
- राज्य में नहर प्रणाली को विकसित करने के लिए 13,800 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा गया है। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए बिहार में सूक्ष्म

सिंचाई बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3,577 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की गई है।

- अभी केंद्र सरकार वर्तमान में चयनित महत्वाकांक्षी (Aspirational) जिलों और प्रखंडों को सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार को बिहार भर में सामाजिक–आर्थिक संकेतकों को बेहतर बनाने के लिए सभी प्रखंडों को राशि आवंटित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए 13,500 करोड़ रुपये का वित्तीय अनुदान मांगा गया है। शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के लिए 18,532.10 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की गई है। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कलात्मक विरासत को देखते हुए, राज्य में एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा गया है।
- पिछले वित्त आयोग ने राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु आवंटन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अंशदान अनुपात की सिफारिश की थी। हालांकि, राजकोषीय सीमाओं के कारण राज्य सरकार के लिए अपने 25 प्रतिशत हिस्से के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाना चुनौतीपूर्ण रहता है। इसलिए, बिहार को पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए किये गए प्रावधानों के समान केवल 10 प्रतिशत अंशदान करने की व्यवस्था की जाए।
- आपदा प्रबंधन एक जटिल कार्य है, और पूरे देश में समान रूप से एक समान सख्त दिशा–निर्देशों का पालन करना हमेशा संभव नहीं होता है। अतः, वित्त आयोग से अनुरोध है कि ऐसे प्रावधान किये जाए जिससे कि प्रत्येक राज्य के भीतर बदलती स्थानीय परिस्थितियों को समायोजित करने के लिए दिशा–निर्देशों में पर्याप्त लचीलापन रखा जा सके।